

आवेदन : प्रक्रिया सहायक



मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर-खतरनाक कारखानों के पंजीयन हेतु आवेदन

श्रम सेवा पोर्टल : <http://www.labour.mp.gov.in>

(कारखाना सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल से संचालित है)

पोर्टल: <https://www.mponline.gov.in/PORTAL/SERVICES/FACTORYREG/LOGIN/FRMLOGIN.ASPX>

1. प्रयोज्यता	मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वह अधिभोगी जिनको गैर-खतरनाक कारखाने का पंजीयन करना हो
2. आवेदन कब करें?	अधिभोगी द्वारा परिसर को कारखाने के रूप में उपयोग करने के 15 दिन पूर्व
3. आवेदन कौन कर सकता है	केवल अधिभोगी ही आवेदन कर सकते हैं निम्नलिखित अधिभोगी की श्रेणी के लिए मान्य हैं : 1. प्रोप्रायटरशिप की दशा में- प्रोप्रायटर 2. भागीदारी फर्म होने की दशा में- कोई भी भागीदार 3. लिमिटेड कंपनी होने की दशा में- कोई भी संचालक
4. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरणसम्बन्धी निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं : ⇒ नवीन पंजीयन : ⇒ पंजीयन नवीनीकरण ⇒ कारखाने के प्लान पर अनुमोदन ⇒ अनुज्ञप्ति में संशोधन
5. आवेदन कहाँ करें?	कारखाने अधिनियम सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है गैर-खतरनाक कारखाने के पंजीयन हेतु नागरिक सेवाएं→आवेदन → फैंकट्री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें a) यदि आप पूर्व से पंजीकृत हैं तो अपना यूजर-आईडी एवं पासवर्ड उपयोग करें - जो कि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया था वेबसाइट : Account Sign-Up(For Existing Users)

आवेदन : प्रक्रिया सहायक

	<p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>b) New User पर क्लिक कर अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। (दर्ज मोबाइल नंबर पर यूजर-आईडी एवं पासवर्ड भेजा जायेगा)</p> <p style="text-align: center;">वेबसाइट : Register New User</p>
<p>6. आवेदनप्रक्रिया</p>	<p>पोर्टल पर बने अकाउंट से लॉग-इन् करें तथा बाएं ओर उपलब्ध विकल्पों में से नवीन पंजीकरण विकल्पों (New Registration Options) पर क्लिक कर Apply for Factory Registration(Form-4)चयनित करें। तत्पश्चात् फॉर्म से सम्बंधित घोषणापत्र पर अपनी सहमति टिक लगाकर(√) सुनिश्चित करें।</p> <p>फैक्ट्री प्लान अनुमोदन के समय जारी FAC नंबर प्रविष्ट करें ऑनलाइन फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ भरकर आवेदन फॉर्म-4 को हस्ताक्षरित कर स्कैन कर लें। डॉक्यूमेंट के ब्रीफकेस में सूची अनुसार प्रपत्र अपलोड करें। तदुपरान्त पेमेंट हेतु Proceed to Payment पर क्लिक करें। Payment Options में जाकर लाइसेंस शुल्क का चालान अपलोड करें। पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदन पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवेदन सम्बन्धी जानकारी SMS द्वारा भेजी जायेगी जिसमें एफ.ए.सी नंबर संलग्न होगा। पोर्टल पर एफ.ए.सी नंबर डाल कर भविष्य में आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।</p> <p>यदि पूर्व से प्लान का अनुमोदन नहीं लिया गया है तो फॉर्म-4 के पूर्व फॉर्म-1 A भी अपलोड करें।</p>
<p>7. आवश्यक दस्तावेज</p>	<p>दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदन फॉर्म-4 की हस्ताक्षरित प्रति 2. अनुज्ञप्ति शुल्क जमा होने के सम्बंध में बैंक चालान/साइबर ट्रेज़री रसीद/ लोक सेवा केंद्र की रसीद जो सम्बंधित हेड "0230-श्रम एवं रोज़गार, 104-कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत" जमा हुआ हो। 3. पूर्व में जारी हुई अनुज्ञप्ति की प्रति। 4. आवेदक के अधिभोगी होने के सम्बंध में प्रमाण(जो लागू हो) : <ol style="list-style-type: none"> i. प्रोप्रायटरशीप संस्थान होने की स्थिति में - प्रोप्रायटर होने के संबंध में प्रमाण जैसे जिला उद्योग केन्द्र का पंजीयन प्रमाण पत्र/अभिस्वीकृति ii. भागीदारी संस्थान होने की स्थिति में - कार्यालय रजिस्ट्रार आफ फ़र्म्स से पंजीकृत भागीदारी लेख

आवेदन : प्रक्रिया सहायक

	<p>iii. पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने की स्थिति में - (अ) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति के साथ कंपनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापित संचालक मण्डल की सूची (ब) किसी एक संचालक को अधिभोगी नियुक्त करने के संबंध में संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।</p> <p>iv. केन्द्रीय/राज्य शासन के संस्थान होने की स्थिति में - सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अधिभोगी घोषित करने के संबंध में जारी आदेश।</p> <p>5. सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी भवन स्थायित्व प्रमाण पत्र प्रपत्र-2</p> <p>6. स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र</p> <p>7. भवन स्वामी द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत भवन उपकर स्वनिर्धारण प्रपत्र-1 उपकर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रमाण ।</p> <p>8. भूमि उपयोग प्रमाण पत्र / भूमि व्यपवर्तन आदेश</p> <p>i. निजी भूमि होने की स्थिति में - रजिस्ट्री की प्रति मय औद्योगिक उपयोग के लिए व्यपवर्तन आदेश के साथ</p> <p>ii. जिला उद्योग केन्द्र/औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखानों के लिए- जिला उद्योग केन्द्र/औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा जारी पट्टा अभिलेख</p> <p>iii. किराया/पट्टे पर होने की स्थिति में - किरायानामा/ पट्टा अभिलेख मय औद्योगिक उपयोग के लिए व्यपवर्तन आदेश के साथ।</p> <p>9. अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज</p>
<p>8. आवेदन की स्थिति</p>	<p>जमा किये हुए आवेदन की तीन स्थितियां हो सकती हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> - आवेदन पर स्वीकृति <u>या</u> - आवेदन पर आपत्ति <u>या</u> - आवेदन पर अस्वीकृति (रद्द होना) <p>उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जायेगा ।</p>
<p>9. आवेदन शुल्क</p>	<p>कारखाने के नवीन पंजीयन हेतु शुल्क निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर गणित है :</p> <p>(1) कुल रेटेडहोर्सपावर जो कि कारखाने में स्थापित किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है ।</p>

आवेदन : प्रक्रिया सहायक

	<p>(2) नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या।</p> <p>कारखानों के लिए पंजीकरण के लिए देय शुल्क देखें </p>
<p>10. एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग हेतु निर्धारित शुल्क</p>	<p>यदि एम.पी.ऑनलाइन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो: ₹.300/-</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>यदि नागरिक स्वयंही एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन दर्ज करता है : ₹.180/-</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>यदि आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा किया जाता है तो : ₹.30/-</p> <p>अतिरिक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र द्वारा </p>
<p>11. शुल्क जमा करने की विधि</p>	<p>सायबर ट्रेज़री के माध्यम से:- ऑनलाइन साइबर कोषालय(Cyber Treasury)की पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा करें नेट बैंकिंग/ऑनलाइन से शुल्क अन्तरण करें, ट्रेज़री वेबसाइट द्वारा जनरेट चालान/रसीद को सेव कर प्रिंट लें। कृपया चालान/सायबर ट्रेज़री रसीदकी जानकारी ऑनलाइन फार्म में दर्ज करें।</p> <p>ट्रेज़री हेड (शुल्क जमा हेतु)</p> <p>0230-00-104-0000 - Fees realized under Factory Act</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>चालान द्वारा:- स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जाकर ऑनलाइन फार्म में मुख्य-उप मुख्य शीर्ष एवं अन्य जानकारी दर्ज कर शुल्क जमा करें </p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>एम.पी.ऑनलाइन किओस्क पर नगद* जमा कर अथवा भुगतान प्रक्रिया के समय आवेदक स्वयं के नेट बैंकिंग/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड उपयोग कर जमा कर सकता है </p> <p>(*) - एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से किये जा रहे नगद भुगतान प्रक्रिया की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी)</p>
<p>12.समय सीमा</p>	<p>आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है </p>
<p>13.अपील</p>	<p>आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:-</p> <p>⇒ <u>अपील अधिकारी:</u></p>

आवेदन : प्रक्रिया सहायक

	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
14. प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा आवेदक डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर अपना एफ.ए.सी नंबर तथा अकाउंट यूजरनेम पासवर्ड उपयोग कर डाउनलोड कर सकता है
15. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

आवेदन : प्रक्रिया सहायक

ध्यान देने योग्य बातें :

- पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा।
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबर अथवा पासपोर्ट नंबर डालना अनिवार्य है।
- आवेदन के समय दिए गए एफ.ए.सी नंबर तथा यूजरनेम-पासवर्ड को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए।
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको औ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंधित कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा। आपत्तिजारी होने पर आवेदनकर्ता को ऑनलाइन अथवा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMSद्वारा सूचित किया जाएगा।
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में तथा अविलम्ब आपत्ति के कारणों का अनुपालन कर ऑनलाइन प्रेषित करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है ।
- प्रक्रिया सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सम्बंधित औ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षाके [जिला कार्यालय](#) में संपर्क करें ।
- एम.पी.ऑन.लाइन किओस्क के माध्यम से आवेदन प्रेषित करने पर निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं दिया जाना चाहिये ।
- एम.पी. आन लाइन कियोस्क या लोक सेवा केन्द्र की फीस जमा किये बिना प्रक्रिया उस चरण से आगे नहीं बढ़ेगी । यह लाइसेंस फीस से पहले अलग से जमा करना होगा।
- लाइसेंस फीस चालान जनरेट करनेके बाद सेव करके प्रिंट ले सकते है तथा साइबर ट्रेझरी या ऑनलाइन फीस जमा नहीं करना है तौ इस चरण पर बाहर आ सकते है । फिर इस जनरेटेड चालान के साथ उसमें अंकित फीस भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर अगले एक/दो/तीन दिनों में जमा कर आवेदन को एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर दो तीन दिनों बाद आवेदन क्रमांक FAC..... डाल कर खोला जा सकता है । यह जहां पर सेव कर लॉग-आउट किया था वहीं से खुलेगा फिर ऑनलाइन फार्म में फीस की जानकारी भरकर ओरीजनल चालान की स्केन कापी लोड कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

